384

न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2015 निगरानी निग 14025-पी-15

प्रतिपालसिंह पुत्र देवीसिंह चौहान निवासी ग्राम दरगांय कलां तह. मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

--- प्रार्थी

विरूद्ध

बुददा पुत्र रिल्ली ढीमर निवासी ग्राम दरगांय कलां तह. मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

--- प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार महो. तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ के प्र.क. 14/2000–01/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2003 के बिरूद्ध निगरानी जानकारी दिनांक 17.12.2015 प्रतिलिपि प्रस्तुत आवेदन पत्र से अवधि अन्दर प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :–

यह कि, अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महो. मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ के समक्ष भूमि सर्वे क. 14/2 ग रकवा 1.831 है. के संबंध में सीमांकन हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 129 के अधीन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्र.क. 14/2000–01/अ–12 पर दर्ज किया जा कर आपत्तियां आहूत किये बिना तथा अनावेदक द्वारा बिना सीमांकन नियमों का पालन किये बिना आदेश दिनांक 07.04.2003 को पारित करा लिया गया। उक्त प्रकरण में कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया और ना ही सरहदी कृषकों को सीमांकन सम्बंधी कोई सूचना पत्र जारी किया गया। परन्तु आवेदक को तलब किये बिना दिनांक 07.04.2003 से सीमांकन स्थल का पंचनामा तैयार हुआ। कि, मौके पर कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं है, तथा कोई स्थाई सीमाचिन्ह न मिलने के कारण नक्शा विहीन क्षेत्र होने के कारण नक्शाविहीन क्षेत्र घोषित किया गया। तथा सिचांई विभाग के नक्शा को आधार बताकर कर सीमांकन आदेश पारित कर दिया गया है। उक्त आदेश से दुखित होकर जानकरी दिनांक 17.12.2015 से निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4025-दो/2015 जिला ~~छतरपुर~~ टीकमगढ़ प्रतिपाल विरूद्ध बुददा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार मोहनगढ़ के प्रकरण क्रमांक 14/अ-12/2000-01 सीमांकन आदेश दिनांक ~~17-12-2015~~ 07/08/2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 25/01/19	